

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2026—पौष 26, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 नवम्बर 2025

GENCOR/2212/2025-GAD-2.—श्री फड़तरे अनिकेत अशोक, भा.प्र.से. (2020) द्वारा दिनांक 17-03-2025 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को संबोधित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें श्री फड़तरे द्वारा दिनांक 01-01-2023 से वरिष्ठ वेतनमान में काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है. माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र दिनांक 30-08-2024 द्वारा श्री फड़तरे को छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग आबंटित करते हुए 2020 बैच प्रदान किया गया है. उक्त के अनुक्रम में श्री फड़तरे द्वारा दिनांक 02-12-2024 को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में कार्यभार ग्रहण किया गया तथा प्रशिक्षण उपरांत छ.ग. राज्य संवर्ग में दिनांक 28-04-2025 को उपस्थिति दी गई.

2. विभागीय पत्र क्र. GENCOR/2212/2025-GAD-2 दिनांक 13-05-2025 द्वारा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली से श्री फड़तरे को दिनांक 01-01-2023 से वरिष्ठ वेतनमान प्रदाय किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्र. 20062/01/2025-AIS-II (Pay) दिनांक 29-05-2025 द्वारा श्री फड़तरे को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार निर्णय लिये जाने का लेख किया गया।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम-6 A(3) में निहित प्रावधान अनुसार 04 वर्ष का सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारी को 01 जनवरी से वरिष्ठ वेतनमान देय है, जिन्होंने विहित समस्त विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। श्री फड़तरे द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण विलंब से कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है एवं 04 वर्ष की प्रत्यक्ष सेवा अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है।

4. न्यायालयीन प्रकरण के फलस्वरूप श्री फड़तरे को भारतीय प्रशासनिक सेवा में विलंब से 2020 बैच आबंटित किया गया है। अतः इस प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए श्री फड़तरे अनिकेत अशोक, भा.प्र.से. (2020) को छ.ग. राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण दिनांक 28-04-2025 से वरिष्ठ वेतनमान में काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण इस शर्त पर किया जाता है कि श्री फड़तरे समयावधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। समयावधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए जाने की दशा में प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 24 नवम्बर 2025

क्रमांक/9044/भू-अर्जन/2025. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	राजपुर	ओंकारा प.ह.नं. 17	0.202	कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जलाशय निर्माण संभाग बलरामपुर (छ.ग.)	गागर व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सूरजपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

क्रमांक 1783/भू-अर्जन/03 अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	बलदेवनगर प.ह.नं. 15	1.255	कार्यपालन अभियंता, मिनि माता बांगो बांध संभाग क्रमांक 03 माचाडोली जिला-कोरबा (छ.ग.)	मिनि माता बांगो बांध के निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजनगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. जयवर्धन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025	खसरा नम्बर (1)	रकबा (वर्ग मीटर में) (2)
प्र. क्रमांक/3930/202509111001070/वाचक/भू-अर्जन/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	666/2	747.50
	666/3	471.80
योग		1219.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-शंकरनगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचना, प.ह.नं.-43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1219.30 वर्गमीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20 नवम्बर 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/6459.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6050-6051 नवा रायपुर दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री धनेश्वर साय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को कृषि उपज मंडी समिति कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/कृ.उ.म./भा.सा./2025-26/3747 बलौदाबाजार दिनांक 19-11-2025 द्वारा धान उपार्जन वर्ष 2025-26 को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उपज मंडी समिति कसडोल में तहसीलदार, तहसील कसडोल के पद पर पदस्थ श्री विवेक पटेल को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री धनेश्वर साय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के स्थान पर श्री विवेक पटेल, तहसीलदार कसडोल को कृषि उपज मंडी समिति कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) को आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवनी,
संचालक.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मार्च 2025

क्रमांक/75/04/योजना/बीओसी/2025/167.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/75/04/योजना/बीओसी/2023/136 दिनांक 28-02-2023 के कण्डिका (च) योजना का संचालन के बिन्दु क्रमांक 3. में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है :—

“मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” :—

(च) योजना के संचालन :—

बिन्दु क्रमांक-3. चयनित संस्थाओं द्वारा कक्षाएं 05 संभागीय मुख्यालयों में ऑफलाईन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी तथा शेष जिलों हेतु ऑनलाईन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी. के स्थान पर “चयनित संस्थाओं द्वारा दूरस्थ इलाके पर निवास करने वाले छात्र/छात्राओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त जिलों में हितग्राहियों के मांग अनुरूप ऑनलाईन एवं ऑफलाईन के माध्यमों से कक्षाएं संचालित की जा सकेगी.” संशोधित किया जाता है।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उक्त योजना में संशोधन दिनांक 01-08-2024 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

गिरीश कुमार रामटेके
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 1052/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following Civil Judges Senior Division, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Senior Division-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Praveen Mishra, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division	Raigarh	Janjgir	Janjgir-Champa	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
2.	Smt. Prateeksha Agrawal, Secretary, District Legal Services Authority	Surajpur	Baikunthpur	Koria (Baikunthpur)	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
3.	Ku. Mayura Gupta, II Civil Judge Senior Division	Katghora	Korba	Korba	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
4.	Smt. Nidhi Sharma, Secretary, District Legal Services Authority	Bemetara	Khairagarh	Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai at Khairagarh
5.	Smt. Tanu Shree Gavel, Civil Judge Senior Division	Kurud	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
6.	Smt. Deepti Singh Gaur, Civil Judge Senior Division	Chirmiri	Ramanujganj	Balrampur-Ramanujganj	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Balrampur-Ramanujganj at Ramanujganj
7.	Shri Pallve Raghuvanshi, II Civil Judge Senior Division	Kawardha	Ambikapur	Sarguja (Ambikapur)	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate.
8.	Shri Bhupesh Kumar Basant, II Civil Judge Senior Division & Special Magistrate (C.B.I.)	Raipur	Durg	Durg	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Ku. Chetna Thakur, Civil Judge Senior Division	Gunderdehi	Mahasamund	Mahasamund	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
10.	Ku. Seema Kanwar, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division	Raipur	Gariaband	Gariaband	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
11.	Smt. Jasvinder Kaur Ajmani Malik, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division	Bilaspur	Mungeli	Mungeli	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
12.	Shri Aslam Khan, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
13.	Shri Anand Kumar Singh, V Civil Judge Senior Division & Special Railway Magistrate	Raipur	Raipur	Raipur	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
14.	Shri Shiv Prakash Tripathi, II Civil Judge Senior Division	Kondagaon	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
15.	Shri Ramesh Kumar Chauhan, Secretary, District Legal Services Authority	Raipur	Sukma	Sukma	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
16.	Shri Lokesh Kumar, Secretary District Legal Services Authority	Ramanujganj	Manendragarh	Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur at Manendragarh
17.	Smt. Suman Singh, VII Civil Judge Senior Division	Raipur	Jashpur	Jashpur	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
18.	Ku. Rupal Agrawal, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division	Surajpur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
19.	Shri Girish Pal Singh, III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division	Raipur	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar Bhatapara	I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate
20.	Smt. Manju Lata Sinha, II Civil Judge Senior Division	Baloda-Bazar	Raipur	Raipur	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division & Additional Chief Judicial Magistrate

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 1053/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following Civil Judges Senior Division, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Anshul Verma, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Baikunthpur at Janakpur	Janakpur	Chirmiri	Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur	Civil Judge Senior Division
2.	Shri Mayank Soni, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Kanker at Pakhanjur	Pakhanjur	Raipur	Raipur	V Civil Judge Senior Division
3.	Ku. Preeti, II Civil Judge Senior Division	Raigarh	Dongargarh	Rajnandgaon	Additional Judge to the Court of Civil Judge Senior Division
4.	Shri Suresh Toppo, VIII Civil Judge Senior Division	Raipur	Raipur	Raipur	II Civil Judge Senior Division
5.	Shri Prashant Kumar Dewangan II Civil Judge Senior Division	Gariaband	Gunderdehi	Balod	Civil Judge Senior Division
6.	Smt. Shradha Singh Shrivastava Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department	Raipur	Dallirajhara	Balod	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Balod at Dallirajhara
7.	Shri Rajat Kumar Nirala, II Civil Judge Senior Division	Dhamtari	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Senior Division

By Order of the High Court,
MANSOOR AHMED, I/C Registrar General.